



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

(ISO 9001 : 2015 एवं ISO 14001 : 2015 प्रमाणित संस्था)

विकास पथ गाजियाबाद

सार्वजनिक सूचना

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भूखण्ड सं०-एस०डी०-34, शास्त्रीनगर, गाजियाबाद के वर्तमान भू-स्वामियों श्री हरी अग्रवाल पुत्र स्व० श्री मामचन्द द्वारा प्रश्नगत आवासीय भूखण्ड पर पूर्व में किये गये व्यवसायिक निर्माण (आंशिक) को मिश्रित भू-उपयोग (आवासीय तथा व्यवसायिक) के अन्तर्गत शमन कराने हेतु उ०प्र० विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियाँ तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स के आधार पर शमन आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उ०प्र० शासन के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा जारी किये गये शासनादेश सं०-1323/2025/आठ-3099/208/2025 दिनांक 04 जुलाई 2025 के माध्यम से वर्तमान में प्रभावी उ०प्र० विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियाँ तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स-2025 के अन्तर्गत प्राधिकरण की योजनाओं / प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत योजनाओं में 24.00 मी० या 24.00 मी० से अधिक चौड़ी सड़कों पर स्थित आवासीय भू-उपयोग के भूखण्डों में मिश्रित भू-उपयोग अनुमन्य किया गया है।

उ०प्र० विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियाँ तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स 2025 में मिश्रित भू-उपयोग के आवेदन पर स्वीकृति प्रदान किये जाने से पूर्व 30 दिन का समय प्रदान करते हुए जनसामान्य से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने का प्राविधान है। अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्ति / सुझाव है तो आपत्ति / सुझाव की दो प्रतियों में प्रवर्तन जोन-4, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद के कार्यालय में इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर प्रस्तुत कर सकते हैं। केवल निर्धारित अवधि के अन्दर ही प्राप्त आपत्ति / सुझाव पर विचार किया जायेगा।

अपर सचिव

ई-मेल : helplinegda@gmail.com, [f@Gda Ghaziabad](https://www.facebook.com/GdaGhaziabad) : [gdagzb](https://www.instagram.com/gdagz)

हेल्पलाइन नं: 0120-4418384 व्हाट्सएप : 9990988004, वेबसाइट : www.gdaghaziabad.in

एक सुन्दर शहर हमारा संकल्प